न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 21 / 2013
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2013 / 00017

प्रार्थीगण

1. गणेशा पुत्र लच्छा।
2. महादेवा पुत्र लच्छा।
3. मगू पत्नी लच्छा जातियान रेबारी निवासीगण सरनाउ तहसील– सांचौर, जिला– जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. लाखा पुत्र खंगारा।
2. तेजा पुत्र खंगारा।
3. लच्छा पुत्र भीमा।
4. भावा पुत्र भीमा जातियान रेबारी निवासीगण सरनाउ तहसील सांचौर जिला जालोर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 18.06.2013

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी 1 व 4 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय।

–:निर्णय:–

दिनांकः– 26.09.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया कि वांके मौजा सरनाउ पटवार हल्का सरनाउ में प्रार्थीया का खेत खसरा संख्या 503 व 500 में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 500 / 1372 से होकर मौके पर आवागमन का रास्ता है। जो एक और राजकीय भूमि से होकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत 503 को जोड़ता है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आने जाने का जादीकदीम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण खातेदारी खेत में कृषि कार्य से वंचित रह रहे है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया जाकर पेश किया है, जिस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क अदा करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा सरनाउ के खेत खसरा संख्या 500 / 1372 रकबा 0.02 हैक्टेयर को सार्वजनिक कटान गैर मुमकिन रास्ता घेषित कर राजस्व रेकर्ड में सरकार के नाम इन्द्राज दुरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना—दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तहसीलदार सांचौर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए उक्त मांगा गया रास्ता अत्यधिक आवश्यकता वाला है, जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत तक पहुंचने के लिए निकटतम एवं सुविधाजनक है। प्रार्थीगण द्वारा मौजा सरनाउ के खसरा नम्बर 500 / 1372 रकबा 0.02 हैक्टेयर, संपूर्ण रास्ते की मांग की गई है जिसकी आवश्कता रहेगी। उक्त प्रस्तावित में रास्ते में किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण व वृक्ष नहीं है।

4. बहस एकपक्षीय अधिवक्ता की सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना—पत्र एव जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता प्राथीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार सांचौर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का भी अवलोकन किया।

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान हैः— 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के [illegible]जनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशि[illegible] में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:38 IST
Reason: SelfAttested

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा नम्बर 503 रकबा 2.28 हैक्टेयर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार सांचौर से प्राप्त जांच रिपोर्ट व प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अनुसार उक्त आराजी खसरा संख्या 503 में पहुंचने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को निकटतम व व्यावहारिक होने से रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा सरनाउ, पटवार हल्का सरनाउ के खसरा नंबर 503 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 500/1372 रकबा 0.02 हेक्टेयर में से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:38 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया का अंतर्ग[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित हो[illegible] जाता है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सरहद मौजा सरनाउ, पटवार हल्का सरनाउ के खसरा नंबर 500/1372 रकबा 0.02 हैक्टेयर हेतु तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 500/1372 के खातेदार को रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **26.09.2025** को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:38 IST
Reason: SelfAttested